

225

...की जोड़ नियंत्रित प्रवर्तन/पंजीकरणों में रखा जाएगा ।

2- उक्त प्रतिलिपि/शर्तों को तोताइती को नियमावली में स्पष्ट रूप से समा-
वेश किया जाएगा तथा इन शर्तों/प्रतिलिपि को तोताइती को नियमावली में
समावेश किये जाने की सूचना तथा उसकी पुष्टि में संगीधन नियमावली की प्रति
राज्य सरकार को इस आदेश के जारी होने के छः माह के भीतर उपलब्ध कराया
जायेगा । नियमावली में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई संगीधन/
पारस्परिक सहयोग नहीं किया जाएगा ।

3- उक्त शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि
किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया
जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई छूट या शिथिलता बरती
जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया
जायेगा ।

भवदीय,

। अजीत गौरी ।
उप सचिव ।

1005/15-13-91 तदनुसार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 112 शिक्षा निदेशक, शिक्षा भाग-21 अनुभाग, इलाहाबाद ।
- 124 निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 131 मुख्यालय, रामकृष्ण इन्सटीट्यूट, संजयनगर, गाज़ियाबाद ।
- 144 मुख्यालय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 151 शिक्षा विभाग निरीक्षक, गाज़ियाबाद ।

आपके से,
[Signature]
31.8.91
। अजीत गौरी ।
उप सचिव ।

[Signature]
RAM KISHAN INSTITUTE (60054)
Affiliation No.-2130128
Sec-23, Sanjay Nagar, Ghaziabad